राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम शिवदान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/25	134/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/10/2025 को पेश हो।	
24/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 15/01/2025 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी द्वारा साबित करने में असफल होना धारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज कर दिया गया है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु का विस्तृत विवेचन करते हुये ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त भूमि सहित प्रश्नाधीन गैर.मु. रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1917/424 पर भी अतिक्रमण होने के तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष जाहिर हुये है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक प्रश्नाधीन भूमि की यथास्थिति को कायम रखा जाना आवश्यक हो जाता है ताकि पक्षकारान में कोई नवीन विवाद उत्पन्न नही हो एवं अनावश्यक वाद बहुलता नही बढ़े। इसके अतिरिक्त प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/01/2025 निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं ता-फैसला मूल वाद ग्राम बाघावास तह. किशनगढ़ रेनवाल स्थित विवादग्रस्त प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 1918/424, 1917/424	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम शिवदान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर